the Army to be upto the required standard. The 81 mm Illuminating ammunition received from the Austrian firm so far, is being inspected by the Directorate General of Quality Assurance. No loss on account of 81 mm lllumina'ing ammunition supplied by the Austrian firm has so far been reported to the Government, and the question of demanding damages on this account, therefore, does not arise.

व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मारे गए छापे

3894. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए थे, यदि हां तो विभिन्न स्थानों से काले धन के रूप में भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में पकड़ी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसका स्रोत क्या था ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियों को माफी दे दी गई ; यदि हां, तो उन्हें माफी दिए जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिरला घराने के किसी भी भारतीय और विदेशी प्रतिष्ठान पर छापे नहीं मारे गए और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० महवी) : (क) से (ग) सूचना संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Depreciation of Rupee against S.D.R.

3895. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's borrowings from I.M.F. have proved costlier following the depreciation of Rupee against S.D.R.. and

(b) if so, what steps Government proposes to arrest the depreciation of Rupee against foreign currencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): fa) and (b) The drawals from IMF under EFF were in SDRs and the repayments are also made in SDRs. The rupee amounts corresponding to these transactions which are cre-'dited/ldebited by RBI to IMF account maintained by them at the exchange rates prevailing on the dates of drawal/repay-ments are relevant only for accounting purposes.

In accordance with the articles of agreement of IMF the value of Indian rupees held by IMF is required to be maintained in terms of SDRs and is revalued every year on 30th April on the basis of Rupee —SDR parity rate on that date. Additional rupees required to be paid to IMF for this purpose are kept with RBI in the, form of non-negotiable and non-interes* bearing securities which does not involve any cash outgo.

Repayments to IMF of the above mentioned EFF borrowings are made in the form of repurchase of Indian rupees in return for SDRs or other foreign currencies specified by IMF at the exchange rate prevailing on the date of repurchases. The Indian rupee repurchased are debited to IMF account with RBI and credited to Government account,

India had drawn SDR 3900 million, equivalent to Rs. 4115.19 crores at the then prevailing rate from IMF under Extended Fund Facility during the period November 1981 to April 1984. Upto 30th June 1987 we had repaid SDR 687.25 million equivalent to Rs. 979.54 crores. The outstanding balance of SDR 3212.75 million works out to Rs-5304.25 crore at the current Rupee—SDR exchange rate

The exchange rate of the rupee is fixed with reference to the value of a basket of currencies, mainly of countries which are India's major trading partners. The exchange rates between rupee and other currencies move upward or downward 'de-

pending upon the fluctuations in the value of these currencies. In a regime of floating exchange rates, such frequent variations in exchange values are not unusual.

महू छावनी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण

3896. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय महू छावनी क्षेत्र के विकास तथा वहां सैनिक प्रशिक्षण के लिए कितने गांवों की कुल कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का विचार रखता है ; और

(ख) जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन्हें किस दर पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा और इन गांवों के पुनर्वास के संबंध में क्या योजना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) फील्ड फायरिंग रेंज, बेरछा एवं हेमा के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, के अन्तर्गत अधिग्रहण के लिए 24 गांवों की भूमि, जिसमें लगभग 4993 हेक्टेयर निजी भूमि और 659 हेक्टेयर राज्य सरकार की भूमि शामिल है, मंजूरी दी गई है।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में शामिल प्रावधानों के अनुसार भूमि/सम्पतियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा । गामवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार योजना बनाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

3897. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग द्वारा समयोपरि भत्ते की

(ख) यदि हां, तो क्या संसद भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खलासी, वायरमैन पंप ड्राइवर और उसके वातानुकूलन शाखा के कर्मचारियों को पहले 4 रु० प्रति घंटे की दर से समयोपरि भत्ता मिलता था और अब उन्हें 10 रु० प्रति घंटे की दर से समयोपरि भत्ता मिल रहा है जबकि संसद के सचिवालयों और मंत्रालयों के कर्मचारियों को 3.45 रु० प्रति घंटे की दर से समयोपरि भत्ता मिल रहा है ; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) (क) : जी हां, वास्तव में चतुर्थ वेतन आयोग ने सरकारी कार्यलयों में समयोपरि भत्ते के भुगतान की मौजूदा योजना को समाप्त करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य प्रभारित मस्टर रोल के कामगार जैसे कि खलासी वायरमैन, पम्प आपरेटरों आदि न्यूनतम वेतन अधिनियम द्वारा शामिल होते हैं तथा समयोपरि कार्य की मजदूरी भी उक्त अधिनियम द्वारा होते है तथा समयोपरि कार्य की मजदूरी भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों से ही विनियमित होती है ? अतः उपर्युक्त प्रवर्ग संसद सचिवालय तथा मंत्रालय के कर्मचारियों के मामले में लागू समयोपरि भत्ते की दरों से संबंधित सामान्य आदेशों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

Demonstration/dharna by blinds

3898. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state;

(a) whether the blind persons under the auspices of "National Federation of the